

**FORM - III**  
**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
रविन्द्र कुमार आदि बनाम आशा रानी कुक्कड आदि  
अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 आरटीए नम्बर प्रकरण संख्या 105 सन् 2025  
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/143

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

24.04.2025 वादीगण रविन्द्र कुमार पुत्र इन्द्रजीत जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 03 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजु ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 आरटीए, पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.05.2025 को पेश हो।

सम्मत जारी  
169  
24/04/25

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

20.5/25 वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र नोटिफ़िकेशन किया। प्रतिवादी सं. 13 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश कुमार ने उ.ग. दी। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा ने वकालतनामा पेश किया। सामिल मिसल रहे। अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अपलोकन किया गया। लिहाजा वादीगण अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 RTA नोटिफ़िकेशन करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली विगति लेकर गम्बर से क्रम लेकर दाखिल नफ़तर हो।

प्रतिवादी सं. 13  
इस प्रकरण की ओर की  
भारत का  
अधिकारी  
(समीक्षाकर्ता)

Note  
press  
20/5/25



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)